DATE BOUND / IMMEDIATE ACTION REQUIRED

From

Director General Higher Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

1. Registrars of all State & Private Universities in the State of Haryana
2. Principals of all Govt. Colleges in the State of Haryana.
3. Principals of all Govt. Aided Colleges in the State of Haryana.

Memo No. 27/133-2018 Co (2)
Dated, Panchkula, the 12-9-2018

Subject: **Providing Self Defence Training to the Girls Students.**

Kindly refer to the subject cited above.

I have been directed to forward a copy of memo No. 19622-24/A2/WCD/2018, dated 03.8.2018 received from Director, Women & Child Development Haryana, Panchkula, for necessary action at your level and forward the action taken report to the Director Women & Child Development Haryana, Panchkula and a copy to this department at the earliest.

Encl: As above.

Deputy Superintendent Coordination
for Director General Higher Education,
Haryana, Panchkula.

31760 (2)
5/9/18

23085-CRP
6/8/18

From

Director,
Women & Child Development Department, Haryana,
Bays 15-20, Sector, Panchkula.

To

1. Director,
School Education Department,
Siksha Sadan, Sector 5, Panchkula.
2. Director
Higher Education Department, Haryana
Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula
3. Director
Technical Education Depatment
Bays no. 7-12, Sector-4, Panchkula

Memo no. 19622-24 /A2/WCD/2018 Dated: 03/08/18

Subject: - Providing Self Defence Training to the girls students.

****

Kindly find the enclosed herewith a copy of the letter received from Haryana State Commission for Women wherein W/APSCM has also given directions regarding the said issue. Therefore, the same is being forwarded for taking necessary action and action taken report may be sent to this department and the Haryana State Commission for Women.

Deputy Director-III
for Director, Women & Child Dev. Deptt.
Haryana, Panchkula

O/o PS WCD
Diary No. 8479
Date 21/06/2018

क्रमांक : HSCW/A.../1127/2018 दिनांक : 21-2-2018

विषयः स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थाओं में छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु।

आदरणीय मुख्यमंत्री जी

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि हरियाणा राज्य में छात्राओं एवं अन्य महिलाओं के विरूद्ध छेड़छाड़, यौन शोषण एवं बलात्कार की घटनाएं लगभग प्रतिदिन घट रही हैं। इन घटनाओं से छात्राओं का मनोबल टूट जाता है और उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है।

अतः छात्राओं का उत्साह बढ़ाने एवं आत्मरक्षा में सक्षम बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की बहुत आवश्यकता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें एवं उनमें मनोबल उत्पन्न हो । इस सम्बन्ध में राज्य महिला आयोग की दिनांक 09–01–2018 को हुई मीटिंग में भी छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर बल दिया गया और यह सिफारिश की गई कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण को एक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए और विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिए जाने चाहिएं।

इस सम्बन्ध में एक संस्था उत्कल कराटे स्कूल उड़ीसा राज्य में पिछले अनेक वर्षो से आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रही है। यह संस्था हरियाणा राज्य से भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए जुड़ने की इच्छुक है। ऐसी विशेषज्ञ संस्था की सेवाएं लेना हरियाणा राज्य की छात्राओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस संस्था ने प्रशिक्षण कार्य को हरियाणा राज्य में प्रदान करने के लिए कार्य योजना निम्नप्रकार भेजी है :

1. प्रथम चरण में सभी 22 जिलों से चुनकर सेवारत महिला पी शिक्षक एनएसएस शिक्षक NCC शिक्षक एवं स्काउट और गाईड महिला शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ट्रेनिंग दी जा सकती है।
2. इसके अतिरिक्त सेवारत महिला पुलिस सदस्यों को भी यह विशेष तकनीक सिखाई जा सकती है।

Addl. PSCM to CM, Haryana
Diary No. (F.R.) 30333
Date 19/06/18

दूसरे चरण में इन महिला मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से राज्य के सभी 22 जिलों के स्कूलों एवं विद्यालयों की कन्याओं को योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

3. दो चरणों में इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इस प्रशिक्षण की निरन्तरता एवं प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए सभी स्कूलों एवं विद्यालयों में समय सारणी में दिए गए खेलकूद के कार्यकाल को आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है जिसमें कि उपलब्ध मास्टर ट्रेनर्स की मदद पूरे वर्ष इस कार्यक्रम में ली जा सकती है।

4. इसके साथ ही साथ कन्याओं में इस कार्यक्रम में रूचि बनाए रखने के लिए इस प्रशिक्षण तकनीक को स्कूल पाठयक्रम में शामिल किया जा सकता है और निश्चित समय अन्तराल पर परीक्षा के माध्यम से ग्रेडिग प्रदान की जा सकती है और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें कि वह राज्य में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक अभियान के रूप में चलाएं और इस संस्था की सेवाओं का लाभ उठाएं।

आदर सहित,

आपकी,

(प्रतिभा सुमन)

श्री मनोहर लाल खटटर,
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा
चंण्डीगढ़।

Forwarded for necessary action.

(Dr. Rakesh Gupta)
Addl. PSCM
11.06.2018

ACS Home
PSWCD